न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस.प्रकरण, पाली (राज.)
(अपर सेशन न्यायाधीश, पाली, राज.)

पीठासीन अधिकारी :- **शरद तँवर,** R.J.S
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दाण्डिक विविध (जमानत) प्रकरण सं. 480/2026

प्रेमचंद उर्फ प्रेमलाल पुत्र चंपालाल, उम्र-43 वर्ष, निवासी-धाकड़ों का खेड़ा, पंचायत समिति, लुणदा, पुलिस थाना- कानोड, जिला- उदयपुर (राज.)
..... **प्रार्थी/अभियुक्त**

-बनाम-

राजस्थान राज्य जरिये विशिष्ट लोक अभियोजक, पाली। .... **अप्रार्थी**

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस.
सीआर नंबर **112/2026** पुलिस थाना **रोहट, जिला पाली**
अपराध अन्तर्गत धारा **8/15, 17, 18, 25 एन.डी.पी.एस. एक्ट**
गिरफ्तारी की दिनांक 04.06.2026

उपस्थिति :-
1. **श्री विक्रमसिंह जोधा,** अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. **श्री निखिल व्यास,** विशिष्ट लोक अभियोजक राज्य की ओर से।

<u>आदेश</u> दिनांक 15.06.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त **प्रेमचंद उर्फ प्रेमलाल** की ओर से जरिए अधिवक्ता इस प्रकरण में नियमित जमानत हेतु यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस.दिनांक 11.06.2026 को पेश किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि विशिष्ट लोक अभियोजक को दिलाई गई। संबंधित पुलिस थाने से प्रार्थी/अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड तलब किया गया। अनुसंधान पत्रावली तलब की गयी। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अभिलेख का अवलोकन किया गया। उभय पक्षीय तर्को पर मनन किया गया।

Govind Ram Chouhan, P.A.& E.A.
"Authenticated Document"

2. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन के संबंध में मुख्य रूप से यह अभिवचन एवं तर्क किए गए है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष हैं, उसे झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त नामजद आरोपी नहीं है तथा आरोपी नारायणलाल ने अपनी सूचना में प्रार्थी/अभियुक्त का नाम नहीं बताया है। प्रार्थी/अभियुक्त के चेतन्य कब्जे से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त से संबंधित अनुसंधान पूर्ण हो चुका है, प्रकरण के शेष अनुसंधान एवं विचारण में समय लगेगा। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 04.06.2026 से निरन्तर अभिरक्षा में है, प्रार्थी/अभियुक्त के निरन्तर अभिरक्षा में रहने से उसके चरित्र पर बुरा प्रभाव पडेगा और उसके परिवार को बहुत कठिनाईयों का सामना करना पडेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाये। अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये जिनका ससम्मान अध्ययन कर मार्गदर्शन प्रापत किया :-

1. Satnarayan vs. State of Rajasthan
   2025:RJ-JD: 33858
2. Sanjay Chandra vs. CBI
   2012(1) CJ (Cri.) (SC)
3. माननीय राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एसबी क्रिमी. रिवीजन पीटीशन नंबर 784/2019 भोपालसिंह बनाम स्टेट आफ राजस्थान में पारित आदेश दिनांक 07.08.2024

3. विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त अभिवचनों एवं तर्कों का विरोध करते हुए तर्क किया कि प्राथी/अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर अपराध का आरोप है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

4. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **एस.बी. क्रिमी. बेल एप्लीकेशन नंबर 13513/2020 जुगल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान** में दिये गये निर्देशानुसार अभियोजन द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का निम्न आपराधिक रेकार्ड प्रस्तुत किया गया है :-

Sr. No.	*FIR No.*	*P.S.*	*Section*	*Case no*	*Release on any previous occasion (If any)*
1.	*58/06.05.2026*	वल्लभनगर जिला उदयपुर	***8/18,29 NDPS act***	-	-

Govind Ram Chouhan, P.A.& E.A.
"Authenticated Document"

5. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत उभय पक्षीय तर्को एवं प्रार्थी/अभियुक्त के आपराधिक रिकॉर्ड के संदर्भ में हस्तगत प्रकरण की अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि दिनांक 30.06.2026 को थाना प्रभारी उप निरीक्षक, पुलिस थाना रोहट जिला पाली जब्बरसिंह मय जाब्ता गश्त के दौरान नेशनल हाईवे अरटिया पर 2.00 पीएम पर मुखबिर द्वारा नारायणलाल पुत्र पूनाराम निवासी विश्नोईयों की ढाणी भाकरीवाला के रहवासीय घर व निर्माणाधीन मकान में अवैध मादक पदार्थ छुपा होने की इतिला देने पर, एनडीपीएस एक्ट के विधिक प्रावधानों की अनुपालना करते हुए 2.40 पीएम पर नारायणलाल के घर के सामने पहुंचे जहां पक्का मकान बना हुआ था एवं घर के पास एक निर्माणाधीन मकान था व मकान के चारदीवारी कर रखी थी, नारायणलाल के दरवाजे पर पहुंचकर आवाज दी तो एक व्यक्ति मकान से बाहर आया जिससे थानाधिकारी ने नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम नारायणलाल पुत्र पूनाराम होना बताया जिसको मुखबिर इतिला से अवगत कराया तो वह पसीना पसीना होने लगा व कुछ ले-देकर मामला सलटाने की गुहार करने लगा।

6. समय 4.40 पीएम पर नियमानुसार तलाशी लेने पर नारायणलाल के रहवासी घर/मकान में पूर्व दिशा के दरवाजे से प्रवेश कर बारी बारी कमरों की सेक्टर वाईज तलाशी शुरू की गई तो सामने के कमरे में एक सफेद प्लास्टिक के डिब्बे में अफीम के दूध के निशान लगी हुई खाली प्लास्टिक की 3-4 थैलियां व बैठक के बडे हाल में लोहे की अलमारी व लोहे के बक्से में 500-500, 200-200 व 100-100 रूपये के नोटों के बंडल व दो मोबाईल, भगवान की तस्वीर वाली अलमारी में एक छोटी प्लास्टिक की पारदर्शी थैली में अफीम का दूध, कमरे में रखे फ्रिज में दो प्लास्टिकि की बोतलों में मटमैल कलर का अफीम का घोल, इलेक्ट्रीक कांटा, अंदर के कमरे में सौफे के पीछे दो प्लास्टिक की पारदर्शी थैलियों में काले कलर का पदार्थ, एक अमूल दूध के डिब्बे में मटमैले कलर का पदार्थ, एक बिस्लरी पानी की बोतल में मटमैल कलर का पानी एवं एक ठौस मटमैले कलर की बटी मिली।

7. वजन करने पर मांजा ठण्डे की बोतल में बोतल सहित अफीम का घोल 773 ग्राम, दूसरी पारदर्शी पानी की बोतल में अफीम के गले पानी सहित 921 ग्राम, छोटी प्लास्टिक की थैली सहित अफीम का दूध 40 ग्राम, अफीम के दूध की दो प्लास्टिक थैलियों में-पहली थैली में थैली सहित 686 ग्राम व दूसरी थैली में थैली सहित 522 ग्राम अफीम का दूध, मिश्रित

अफीम की बटी 425 ग्राम, बिस्लरी की बोतल में बोतल सहित गला हुआ अफीम का पानी 544 ग्राम तथा प्लास्टिक के कट्टे में **2.910 किलो डोडा पोस्त अवैध मादक पदार्थ** होना पाया गया। अफीम के दूध का कुल वजन 1.248 किलोग्राम, मिश्रित अफीम का कुल वजन 425 ग्राम, अफीम के घोल के पानी की तीन बोतलों का वजन 2.230 किलोग्राम होना पाया गया। **इस प्रकार अफीम का दूध व मिश्रित अफीम एवं घोल तीनों का कुल वजन 3.904 किलोग्राम** होना पाया गया। नारायणलाल से अवैध मादक पदार्थ अफीम व डोडा पोस्त कहां से लाने व अपने घर पर रखने के बारे में पूछा तो उक्त अफीम का दूध व डोडा पोस्त दशरथ निवासी खेडी से करीब 8-10 दिन पहले खरीद कर लाना एवं क 1.500 किलोग्राम हरिराम निवासी कैलाशनगर सिरोही को बेचना बताया .... इत्यादि। उक्त बरामदगी के आधार पर पुलिस थाना रोहट, जिला पाली में यह प्रकरण संख्या **112/2026, धारा 8/15, 17, 18, 29 एनडीपीएस एक्ट** के तहत दर्ज किया गया।

8. अनुसंधान पत्रावली एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार अवैध मादक पदार्थ अफीम व डोडा पोस्त सप्लायी प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अभियुक्त नारायणलाल को करना दर्शित है, इसलिए प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में गिरफ्तार किया जाकर उक्त उससे अवैध मादक पदार्थ अभियुक्त नारायणलाल को देने के स्थान की मौका तस्दीक करवायी गयी है।

9. प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा **8/15, 17, 18, 29 एनडीपीएस** के तहत दण्डनीय अपराध का अभियोग है। प्रकरण में भारी मात्रा में **अफीम का दूध व मिश्रित अफीम एवं घोल तीनों का कुल वजन 3.904 किलोग्राम तथा 2.910 किलो डोडा पोस्त अवैध मादक पदार्थ** बरामद होना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में **एनडीपीएस एक्ट 01 प्रकरण दर्ज** होना दर्शित है जिससे प्रार्थी/अभियुक्त का अवैध मादक पदार्थो के परिवहन में बार बार लिप्त होना उजागर हुआ है। प्रकरण में वाणिज्यिक मात्रा में अवैध मादक पदार्थ बरामद होने के कारण धारा 37 एनडीपीएस एक्ट, 1985 के प्रावधान आकृष्ट होते हैं, जिनके अनुसार इस अधिनियम के तहत वाणिज्यिक मात्रा के संबंध में अपराध के मामले में जहां लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करता हो, वहां अभियुक्त को जमानत या मुचलके पर तभी निर्मुक्त किया जायेगा जबकि न्यायालय का समाधान हो गया हो कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि प्रार्थी/अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर होने के

दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किये जाने की सम्भावना नहीं है। हस्तगत प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष ऐसा विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार प्रकट नहीं हुआ है।

10. अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए गुणावगुण पर ज्यादा टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत **प्रथम** जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य हैं।

आदेश

11. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **प्रेमचंद उर्फ प्रेमलाल** पुत्र चंपालाल, उम्र-43 वर्ष, निवासी-धाकड़ों का खेड़ा, पंचायत समिति, लुणदा, पुलिस थाना- कानोड, जिला- उदयपुर (राज.) की ओर से प्रस्तुत **प्रथम** जमानत का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. अस्वीकार किया जाकर **खारिज** किया जाता है।

(शरद तँवर)
विशिष्ट न्यायाधीश,
एन.डी.पी.एस. प्रकरण, पाली
(अपर सेशन न्यायाघीश, पाली)

12. आदेश आज दिनांक 15.06.2026 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(शरद तँवर)
विशिष्ट न्यायाधीश,
एन.डी.पी.एस. प्रकरण, पाली
(अपर सेशन न्यायाघीश, पाली)

Govind Ram Chouhan, P.A.& E.A.
"Authenticated Document"

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.15 18:53:42 IST